भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *157

उत्तर देने की तारीख 28.11.2019

महिला कॉयर योजना

*157. श्री रेबती त्रिपुराः

श्रीमती संध्या रायः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में महिला कॉयर योजना (एम॰सी॰वाई॰) कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में त्रिपुरा सहित राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र-वार इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) देश में इस योजना की महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना हेतु कितना वित्तीय आवंटन किया गया;

(घ) क्या सरकार ने योजना के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे प्रारंभ किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा किन समस्याओं का सामना किया गया और कॉयर उत्पादन तथा इसके वितरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं *157 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): कयर बोर्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, यह महिला कयर योजना (एमसीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो देश के प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में कयर उद्योग के विकास हेतु "कयर विकास योजना (सीवीवाई)" छत्र स्कीम के अंतर्गत एक घटक है। महिला कयर योजना, कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित महिला उन्मुखी स्व-रोज़गार योजना है जिसमें महिला कारीगरों को कयर फाइबर को यार्न में परिवर्तित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षुओं को प्रति माह 3000 रु. की वृत्तिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, इस योजना को निम्नवत उद्देश्यों के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए ज़ारी रखने हेतु अनुमोदन दिया गया था:

- महिला कयर कामगार का कौशल बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी/उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण मुहैया कराना ।
- महिला कयर योजना प्रशिक्षुओं को अधिक उद्यमी बनाने के लिए एलबीआई (आजीविका व्यवसाय इन्क्युबेशन) के साथ महिला कयर योजना प्रशिक्षण को एकीकृत करना।
- कयर इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रोत्साहन देना।

महिला कयर योजना के अंतर्गत त्रिपुरा समेत राज्य/संघ क्षेत्र-वार दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है

(ग): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महिला कयर योजना के अंतर्गत वित्तीय आबंटन और प्रशिक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	वित्तीय आबंटन (लाख रु. में)	प्रशिक्षुओं की संख्या
2016-17	121.50	2274
2017-18	44.70	1209
2018-19	166.00	2195
2019-20	182.60	796*

*दिनांक 31.10.2019 तक। इसके अलावा, 280 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण जारी है।

(घ) और (ड.): इस योजना का लक्ष्य 6474 महिला कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। सरकार इन गतिविधियों को कम श्रमसाध्य बनाने के लिए नई मशीनों को विकसित और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करके अधिक से अधिक महिला कामगारों को शामिल कर रही है।

<u>अनुबंध - I</u>

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न संख्या *157 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित <u>अनुबंध - I</u>

महिला कयर योजना (एमसीवीई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदत्त प्रशिक्षण का ब्यौरा:

राज्य/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40	90	76	38
आंध्र प्रदेश	140	60	100	60
असम	349	267	438	280
गोवा	20	0	60	0
गुजरात	20	20	80	0
कर्नाटक	60	80	120	60
केरल	540	236	465	100
लक्षद्वीप	80	20	60	0
महाराष्ट्र	260	80	140	60
ओडिशा	179	100	113	78
तमिलनाडु	350	196	287	80
तेलंगाना	-	20	20	20
त्रिपुरा	19	0	0	0
पश्चिम बंगाल	217	40	236	20
कुल	**2274**	**1209**	**2195**	**796***

*31.10.2019 तक। इसके अलावा, 280 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।